[ज्ञाप]नार्थ पत्र हेतु समय चाहा।
पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना
पत्र दिनांक 14/12/2022 को
पेश हो।

14/12/22 अधिवक्तागण उपस्थित। बहस
प्रार्थना पत्र आ.7 नि.11 CPC
पर सुनी गई। पत्रावली वास्ते
आदेश दिनांक 21/12/2022
को पेश हो।

21/12/22 अधिवक्तागण उपस्थित। आदेश
प्रार्थना पत्र आ.7 नि.11 CPC
अलग से लिखवाया जाकर सुनाया
गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आ.
7 नि. 11 CPC भली-भांति साबित
होने पर स्वीकार किया जाकर
वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा
88, 92A RTA खारिज किया जाता
है। पर्चा डिक्री इस आशय की
जारी हो। पत्रावली निर्णित होकर
नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:25:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर) ★

## न्यायालय सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 53/2013

**भगवन्त सिंह बनाम रणजीत सिंह आदि**

**प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी**

**(दावा अन्तर्गत धारा 88, 92ए आरटीए)**

**--आदेश--**

**दिनांक : 21.12.2022**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी (प्रतिवादी संख्या 3) के द्वारा जरिए अधिवक्ता श्री दलजीत सिंह बराड के द्वारा प्रार्थना आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश कर निवेदन किया कि वादी ने उक्त वाद मुखालफाना कब्जा के आधार पर खातेदारी लिए जाने हेतु पेश किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है, ना ही प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी दिए जाने बाबत अन्य कोई विधि है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा भी प्रतिपादित किया गया है कि मुखालफाना कब्जे के आधार पर खातेदारी नहीं दी जा सकती है। रणजीत सिंह ने दिनांक 21.03.2012 को उक्त भूमि जरिए पंजीकृत बैयनामा, बेचान करके, कब्जा भूमि मुझ प्रतिवादी को सोंप दिया था। भूमि खरीद से लेकर आज तक प्रार्थी (प्रतिवादी संख्या 3) उक्त भूमि पर लगातार, शांतिपूर्वक, बेरोकटोक काबिज काश्त चला आ रहा है, इसके अलावा पटवारी हल्का की वर्ष 2013 की घटना वही से भी प्रार्थी का उक्त भूमि पर कब्जा होने बाबत ताईद होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वादी का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा, इसलिए वादी को कोई वादकारण हासिल नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर उक्त वादपत्र को इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कि नकल अप्रार्थी/वादी अधिवक्ता को दिलायी गई अप्रार्थी/वादी अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके अनुसार प्रार्थी (प्रतिवादी संख्या 3) के द्वारा बिना दस्तावेज साक्ष्य के कब्जा होना बताया है। प्रार्थी (प्रतिवादी संख्या 3) उक्त भूमि पर कभी काबिज नहीं रहा। आज भी वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी को वादकारण हासिल नहीं होना, जो कानूनी बिन्दू है, जिसका साक्ष्य रिकॉर्ड पर आने के पश्चात दावा को मेरिट पर निर्णय होगा। कानूनी बिन्दू उक्त प्रार्थना पत्र में तय नहीं किये जा सकते है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश करके निवेदन है कि प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी (प्रतिवादी संख्या 3) के द्वारा अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि वाद पत्र इसी स्टेज पर खारिज किया जावे। वकील अप्रार्थी (वादी) के द्वारा अपनी बहस मे जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा प्रार्थना पत्र पर अवलोकन किया। प्रार्थी (प्रतिवादी) के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश कर निवेदन किया है कि वादी को प्रतिकूल कब्जा के आधार पर कोई भी खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। माननीय न्यायालय रवेन्यू बोर्ड अजमेर की फुल बेंच द्वारा भी निर्णय पारित किया गया है कि प्रतिकूल कब्जा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं किये जा सकते और ना ही प्रतिकूल कब्जा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम [illegible] वाद न्यायालय में चलाया जा सकता है। इसलिए वादी को कोई वाद कारण हासिल नहीं है [illegible] खारिज किया जावे। अप्रार्थी(वादी) के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि वादी को वादकारण हासिल नहीं होना, जो कानूनी बिन्दू है, जिसका साक्ष्य रिकॉर्ड पर आने के पश्चात दावा को मेरिट पर निर्णय होगा। कानूनी बिन्दू उक्त प्रार्थना पत्र में तय नहीं किये जा सकते है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश करके निवेदन है कि प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.0
Reason: SelfAtte

अधिवक्तागण के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए, जिनका ससम्मान अवलोकन किया गया।

माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत Civil Appeal No. 4096 of 2008; decided on 11th Sept., 2017 State of Uttarakhand & Anr. vs. Mandir Sri Laxman Sidh Maharaj में वर्णित किया है कि प्रतिकूल कब्जा-प्रतिकूल-कब्जे के आधार पर वादी को सम्पति के स्वामित्व के अधिकारों की घोषणा प्रदान नहीं की जा सकती है।

माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर बेंच के न्यायिक दृष्टांत S.B. Civil Writ Petition No. 12744 of 2017 decided on 11th Sept., 2017 Chhittar & Ors. vs. Smt. Bhanwari devi & Ors. में वर्णित किया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 88, 15, 19 व 5(43) एवं 5(23)- कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु वाद- प्रतिकूल कब्जा के आधार पर घोषणा हेतु वाद डिक्री नहीं किया जा सकता।

माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर के परिपत्र क्रमांक सम/6198-6900 दिनांक 05.04.2019 की बिन्दु संख्या 19 के अनुसार जिन मामलों मे प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकार मांगे जाते है उनका निस्तारण मण्डल की पूर्ण पीठों द्वारा निम्न मामलों मे प्रतिपादित सिद्धांतो के अनुसार किया जाए-

1. 2011 RRD 508 जगदीश एवं अन्य बनाम सीताराम व अन्य
2. 2018 RRD 715 सरजू राव बनाम अमृत लाल

2018 RRD 715 सरजू राव बनाम अमृत लाल के निर्णय अनुसार "After giving an exhaustive consideration to the matter in hand, we are also constrained to note that in the Rajasthan Tenancy Act, 1955, there is no provision in whom the khatedari rights would vest in case the land has been acquired by a person through adverse possession." अर्थात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने का कोई भी प्रावधान नही है।

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया है कि वादी का वादपत्र विधि द्वारा वर्जित है। इसलिए वादी को कोई वाद कारण हासिल नहीं है। वादी को कोई वादकारण हासिल है या नहीं, इसके लिए वाद पत्र का अवलोकन किया गया। वादी के द्वारा वाद पत्र में अंकित किया है कि वादी को उक्त भूमि का 21 वर्षो के मुखालफाना कब्जा के आधार पर खातेदार घोषित किये जाने की डिक्री प्रदान की जावे।

वादी द्वारा प्रतिकूल कब्जा के आधार पर अनुतोष चाहा गया है। इसलिए वादी का वादपत्र विधि द्वारा वर्जित कहा जा सकता। प्रार्थी के द्वारा बहस में उल्लेखित माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के न्यायिक दृष्टांत के सम्मानपूर्वक अवलोकन से न्यायिक दृष्टांत के निर्णय इस प्रकरण पर चस्पा होते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन एवं पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्य सबूत [illegible] प्रार्थी (प्रतिवादी) के द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादपत्र [illegible] स्टेज पर खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। प्रार्थना पत्र शामिल [illegible] रहे।

आदेश आज दिनांक 21.12.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Veri
Digitally signed by Sub
Chandra
Date: 2023.06.09 14:25
Reason: SelfAttested

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

# अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

भगवन्त सिंह बनाम रणजीत सिंह आदि

धारा अन्तर्गत **88, 92ए आरटीए** मुकदमा नं. **53/2013**

**निर्णय दिनांक :- 21.12.2022**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता सतीश कुमार अरोडा व प्रतिवादी अधिवक्ता श्री** [illegible] **सिंह बराड** पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि प्रार्थी रणजीत सिंह (प्रतिवादी) का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर वादी वाद अंतर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

आज दिनांक 21.12.2022 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

| मुददई | रूपया | पैसा | मुदायली | रूपया | पैसा |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अरजीदावा | 02 | 00 | स्टाम्प वकालतनामा | 02 | 00 |
| स्टाम्प वकालतनामा | 02 | 00 | स्टाम्प अरजी | 02 | -- |
| स्टाम्प ड्यूटी | 00 | 00 | मेहनताना वकील पर | 00 | -- |
| योग | 04 | **00** | योग | **04** | **00** |

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:25:52
Reason: SelfAttested